

10/12
24

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में निगरानीकर्ता को अप्रार्थिता के सम्मन की डाक विभाग द्वारा जारी की गई Tracking Report प्रस्तुत की गई है। निर्देश दिनांक 25/9/2024 को दिखे जाने से प्रार्थी की ओर से अनेक अवसर दिखे जाने के पश्चात भी भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी Tracking Report प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रकरण न्यायालय के आदेश की अवय अनुपालना में खारिज की जाती है।

जिला कलक्टर
फरीदा